भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश

मुझे ऐसा ज्ञात/संज्ञान हुआ है कि जिला नूहं की सीमा के अन्दर खरीफ की फसल की कटाई के बाद बचे हुए उसके अवशेषों को जला दिया जाता है। इन अवशेषों के जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, सम्पत्ति की हानि तनाव, क्रोध तथा जीवन को बाहरी खतरे की सम्भावना रहती है। जबकि इन अवशेषों से पशुओं के लिए तुडा बनाया जा सकता है। इसके जलाने से चारे की कमी हो जाती है।

आपातकालीन स्थिति व समय की कमी व परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं यह आदेश सम्बन्धित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में पारित करता हूँ तथा यह जन सामान्य को सम्बोधित है।

अतः दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत मैं, धीरेन्द्र खड़गटा, भा0प्र0से0, जिलाधीश, नूहं तुरन्त प्रभाव से समस्त नूहं जिला में ऐसे बचे अवशेषों के जलाने पर प्रतिबंध लगाता हूं। यह आदेश आगामी 2 माह तक लागू होंगें।

इस आदेश का जिला नूहं में जिला लोक सम्पर्क विभाग की वेन/जीप द्वारा मुनादी करवाकर तथा जिला न्यायालय, उप मण्डल न्यायालय तहसील न्यायालय तथा सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस स्टेशनों व बस स्टेण्डों पर नोटिस चस्पा करके प्रचार किया जाए।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सपठित वायु एवं प्रदुषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत दण्ड का भागी होगा।

यह आदेश आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किये गयें।

Seal of the Court District Magistrate Nuh सत्यमेव जयते

जिलाधीश,
नूंह।

पृ0क्रमांक 859 /एम0ए0 दिनांक :- 28-09-2020.

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ।
3. आयुक्त, फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद।
4. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा चण्डीगढ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिणी रेंज, रेवाडी
6. जिला सत्र एवं न्यायाधीश, मेवात–नूहँ।
7. हरियाणा से सभी जिला मजिस्ट्रेट।
8. पुलिस अधीक्षक, नूहँ।
9. अतिरिक्त जिलाधीश, नूहँ।
10. उपमण्डल मजिस्ट्रेट, नूहँ/तावडू/फिरोजपुर झिरका/पुन्हाना।
11. नगराधीश, नूहँ।
12. जिला राजस्व अधिकारी, नूहँ।
13. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूहँ।
14. उपनिदेशक कृषि एवं कल्याण विभाग, नूहँ।
15. श्रेत्रीय अधिकारी, ह0रा0प्र0नि0बो0, नूहँ स्थित पलवल।
16. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, नूहँ।
17. जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, नूंह।
18. जिला के सभी तहसीलदार/उप तहसीलदार।
19. जिला के समस्त खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
20. सचिव, नगरपालिका/मार्किट कमेटी, नूंह/फिरोजपुर झिरका/तावडू/पुन्हाना।
21. निजि सहायक, उपायुक्त।

जिलाधीश,
नूंह।